

पत्रांक : 831/9ए0

दिनांक 27/02/2020

सेवा में,


सम्पादक
अमर उजाला/दैनिक जागरण
आगरा।

विषय:- नीलामी सूचना प्रकाशन के सम्बन्ध में।

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा से सम्बन्धित कार्य की निविदा सूचना इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त नीलामी सूचना को अपने समाचार पत्र में कम से कम स्पेस में छपवाने का कष्ट करें साथ ही भुगतान हेतु देयक दो प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

क्रम0सं0	समाचार पत्र का नाम	प्रकाशन का स्थान	प्रकाशन की संख्या	प्रकाशन दिनांक
1	अमर उजाला	आगरा	एक बार	28.02.2020
2	दैनिक जागरण	आगरा	एक बार	28.02.2020

संलग्न :-उपरोक्तानुसार।


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 आगरा

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता आगरा क्षेत्र लो0नि0वि0, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला सूचना अधिकारी, ईदगाह कॉलोनी आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधीक्षण अभियन्ता आगरा वृत्त, लो0नि0वि0, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।
5. एन0आई0सी0 आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संलग्न नीलामी सूचना को वैबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू, मेडीकल कॉलेज, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।
7. अधिशासी अभियन्ता, नि0खं0-1(ता0ट्रि0)/नि0खं0-2, लो0नि0वि0, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।
8. समस्त सहायक अभियन्ताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 आगरा

नीलामी की शर्तें

1. कार्यपूर्ण करने की अवधि में वर्षा ऋतु भी सम्मिलित है।
2. नीलामी की वैधता इसके प्राप्ति के दिन से 90 दिन के लिये होगी। वैधता की अवधि में नीलामी प्रपत्र को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
3. इच्छुक व्यक्तियों द्वारा नीलामी की शर्तें एवं अन्य विवरण कॉलम संख्या-9 में अंकित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक देख सकते हैं एवं वेबसाइट <http://agra.nic.in> एवं <http://www.snmcagra.ac.in> पर नीलामी से सम्बन्धित समस्त विवरण एवं विस्तृत शर्तें ऑनलाइन भी देखी जा सकती हैं।
4. नीलामी प्रक्रिया एस0एन0 मेडीकल कॉलेज के गेस्ट हाउस आगरा में दिनांक 03.03.2020 को अपरान्ह 1:00 बजे को जिलाधिकारी आगरा द्वारा गठित समिति के समक्ष आयोजित की जायेगी।
5. इच्छुक प्रतिभागियों को नीलामी प्रक्रिया से पूर्व दिनांक 02.03.2020 को सायं 05.00 बजे तक समस्त प्रमाण पत्र एवं कॉलम संख्या-5 पर अंकित धनराशि राष्ट्रीयकृत/शिड्यूल्ड बैंक द्वारा निर्गत जमानत धनराशि रु0 3.00 लाख एफ0डी0 प्रधानाचार्य सरोजनी नायडू, मेडीकल कॉलेज आगरा के नाम बन्धक हो तथा नीलामी शुल्क हेतु रु0 752.00 (समस्त कर सहित) अप्रत्यार्पणीय शुल्क (नॉन रिफन्डेबल फीस) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रधानाचार्य सरोजनी नायडू, मेडीकल कॉलेज आगरा के पक्ष में देय होगी, को कार्यालय प्रधानाचार्य सरोजनी नायडू, मेडीकल कॉलेज आगरा में जमा करना अनिवार्य होगा, तभी प्रतिभागियों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
7. (क) इच्छुक प्रतिभागी को अपने निवास एवं पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, बोटर आई0डी0 कार्ड एवं जिलाधिकारी से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
(ख) इच्छुक प्रतिभागियों को समस्त अभिलेखों एवं सूचना की सत्यता की प्रामाणिकता हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. इच्छुक प्रतिभागियों द्वारा नीलामी सूचना में अंकित कॉलम संख्या-04 से अधिक बोली लगाया जाना अपरिहार्य है। कॉलम संख्या-04 पर अंकित धनराशि से कम बोली स्वीकार नहीं होगी।
9. नीलामी प्रक्रिया में कॉलम संख्या-04 पर अंकित धनराशि से अधिक बोली लगाने वाले प्रतिभागियों में से अधिकतम बोली वाले प्रतिभागी के पक्ष में ही उपरोक्त कार्य सम्पादित करने हेतु स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।
10. अधिकतम बोलीदाता को कार्य स्थल से स्टील, ईटें, लकड़ी एवं मलवा इत्यादि वस्तुओं को ही ले जाने की अनुमति होगी। यदि इसके अतिरिक्त कोई अन्य कीमती सामग्री प्राप्त होती है तो उस पर एस0एन0 मेडीकल कॉलेज, आगरा का स्वामित्व होगा, तत्कम में बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित सामग्री को नियमानुसार हस्तान्तरित करना होगा।
11. नीलामी प्रक्रिया में सफल अधिकतम बोलीदाता को स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 7 दिवस के अन्दर बोली की सम्पूर्ण धनराशि समस्त करों जी0एस0टी0 इत्यादि सहित राष्ट्रीयकृत/शिड्यूल्ड बैंक द्वारा निर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी, जोकि प्रधानाचार्य सरोजनी नायडू, मेडीकल कॉलेज आगरा के पक्ष में होगा। समस्त धनराशि जमा कराने के पश्चात ही नीलामी सामग्री कार्यालय से ले जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। जमानत धनराशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही वापस की जायेगी।
12. इच्छुक प्रतिभागियों जिनका आपराधिक रिकार्ड है वह नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे।
13. इच्छुक प्रतिभागी जो राज्य विधि काउंसिल में पंजीकृत हो, प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित होंगे।
14. प्रतिभागियों को परामर्श दिया जाता है कि नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पूर्व वास्तविक कार्यस्थल की जाँच कर लें।
15. प्रतिभागियों को लागू समस्त कर जी0एस0टी0 इत्यादि स्वयं वहन करना होगा।
16. उपरोक्त कार्य के सम्पादन में समस्त सुरक्षा के उपाय जैसे फायर सेफ्टी प्रविधान इत्यादि एवं लेबर रजिस्ट्रेशन व बीमा व्यवस्था आदि किया जाना भी अनिवार्य है।
17. ताज ट्रैपेजियम जोन में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु समस्त प्राविधान किये जाना अनिवार्य है।
18. कार्य स्थल से मलवा हटाने हेतु समस्त सुरक्षा व्यवस्थाओं का समुचित प्रबन्ध किया जाये तथा न्यूनतम 8 किमी0 परिधि से बाहर स्थानीय प्रशासन द्वारा चयनित स्थान पर ही मलवा आदि डाला जाये।
19. कार्य स्थल के निकटवर्ती स्थित भवनों को कोई हानि नहीं पहुँचनी चाहिए अन्यथा की स्थिति में यदि कोई भवन क्षतिग्रस्त होता है या किसी जान-माल की हानि होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।
20. कार्य स्थल पर डिसमेन्टलिंग प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त जल छिडकाव का प्रबन्ध किया जाये तथा मलवे के डिस्पोजल साइट पर ट्रांसपोर्टेशन में मलवे को ढकने हेतु पर्याप्त ग्रीन कवरिंग का प्रयोग किया जाये।
21. यदि परिसर में वाटर सप्लाई, सैनेटरी लाइन, सीवर लाइन, इलेक्ट्रीकल लाइन एवं टेलीफोन लाइन्स इत्यादि को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी एवं कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
22. नीलामी की स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में समिति का निर्णय ही अन्तिम होगा। नीलामी किसी भी समय बिना किसी कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

अधिरासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, ब्लो0नि0वि0 आगरा

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 आगरा
अतिअल्पकालीन नीलामी-सूचना**

पत्रांक : 831 /9ए0

दिनांक 27 /02/2020

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से, अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 आगरा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार, ठेकेदार से समान प्रवृत्ति के कार्य के लिये खुली नीलामी हेतु प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जाता है। प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पूर्व न्यूनतम अर्हता हेतु ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले।

क्र स	जिला	कार्यका नाम	अनुमानित मूल्य (लाख रू0 में)	जमानत धनराशि (लाख रू0 में)	नीलामी शुल्क (रू0)	कार्यपूर्णकरने की अवधि	कार्य सम्पादित कराने वाले अधिकारी का पता	सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	सरोजनी नायडू, मेडीकल कॉलेज आगरा परिसर में स्थित पुराने भवनों ब्लड बैंक (क्षेत्रफल 310.65 वर्ग मी0), टिटनेस वार्ड (क्षेत्रफल 553.95 वर्ग मी0) तथा विकलांग कार्यशाला (क्षेत्रफल 251.39 वर्ग मी0) के ध्वस्तीकरण एवं मलवा उठाने का कार्य।	12.00 + समस्त कर जी0एस0टी0 इत्यादि	3.00	शुल्क = रू0 752.00 जी0एस0टी0 सहित (डिमांड ड्राफ्ट में)	2 माह	कार्यालय प्रधानाचार्य सरोजनी नायडू, मेडीकल कॉलेज आगरा	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 आगरा

- इच्छुक व्यक्तियों द्वारा नीलामी की शर्तें एवं अन्य विवरण कॉलम संख्या-9 में अंकित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक देख सकते हैं एवं वेबसाइट <http://agra.nic.in> एवं <http://www.snmcagra.ac.in> पर नीलामी से सम्बन्धित समस्त विवरण एवं विस्तृत शर्तें ऑनलाइन भी देखी जा सकती हैं।
- नीलामी प्रक्रिया एस0एन0 मेडीकल कॉलेज के गेस्ट हाउस आगरा में दिनांक 03.03.2020 को अपराह्न 1:00 बजे को जिलाधिकारी आगरा द्वारा गठित समिति के समक्ष आयोजित की जायेगी।
- इच्छुक प्रतिभागियों को नीलामी प्रक्रिया से पूर्व दिनांक 02.03.2020 को सायं 05:00 बजे तक समस्त प्रमाण पत्र एवं कॉलम संख्या-5 पर अंकित धनराशि राष्ट्रीयकृत/शिडयूल्ड बैंक द्वारा निर्गत जमानत धनराशि रू0 3.00 लाख एफ0डी0 प्रधानाचार्य सरोजनी नायडू, मेडीकल कॉलेज आगरा के नाम बन्धक हो तथा नीलामी शुल्क हेतु रू0 752.00 (समस्त कर सहित) अप्रत्यार्पणीय शुल्क (नॉन रिफन्डेबल फीस) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रधानाचार्य सरोजनी नायडू, मेडीकल कॉलेज आगरा के पक्ष में देय होगी, को कार्यालय प्रधानाचार्य सरोजनी नायडू, मेडीकल कॉलेज आगरा में जमा करना अनिवार्य होगा, तभी प्रतिभागियों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।


अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 आगरा